

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
आदेश

संख्या-02/वन निगम-10/2018...../प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-.....

राज्य अन्तर्गत वृक्षों का पातन/परिवहन/नीलामी आदि कार्य विभाग के बदले राज्य वानिकी विकास निगम से कराये जाने के साथ ही केन्दू पत्ता सहित अन्य लघु वनोत्पाद के संग्रहण/विपणन एवं मूल्य संवर्द्धन का कार्य भी निगम द्वारा सम्पादित कराये जाने की संभावना पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

i.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), बिहार, पटना।	अध्यक्ष
ii.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।	सदस्य
iii.	वन संरक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना।	सदस्य
iv.	प्रमंडलीय प्रबंधक, बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड, पटना।	सदस्य

2. उक्त समिति इस संबंध में SOP तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायेगी।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-02/वन निगम-10/2018..... प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना/वन संरक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना/ प्रमंडलीय प्रबंधक, बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड, पटना/ अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजीव कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-02/वन निगम-10/2018..... प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-15/5/26

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

0/1

14.5.2026

(राजीव कुमार)

सरकार के उप सचिव